चेक लिस्ट क्रमांक संख्या 32

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि0मी0 की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणि अभ्यारण्य या हाथी कॉरिडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने कि जानकारी (छत्तीसगढ शाषन वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ–5–20/2007/10–2 दिनॉक 12.01.2010)

Forest land Diversion of 47.552 Ha for non- forest Purpose (widening of Road) for Construction and Widening of 4-Lane with paved shoulders configuration of **Bilaspur-Urga section from Km. 0+000 to Km. 70+200** section of NH-130A in the State of Chhattisgarh, Under FCA 1980

It is undertaken that there is no National park, Wild life Sanctuary or Elephant corridor situated or proposed within 10 Km area of Proposed Project. It also undertaken that is neither sign nor sculpture of archeological importance is not found within 10 Km of proposed Project.

03/03/20

Project Director

NHAI, PIU Bilaspur

PROJECT DIRECTOR
NHAI, PIU, Bilaspur (C.G.)

Divisional Forest Officer
Bilaspur Dn. Bilaspur (C.G.)

कार्यालय–मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक,
अचानकमार टाईगर रिजर्व, कोनी, बिलासपुर (छ0ग0)

Email : fielddir_atr@rediffmail.com, wildlifecf@gmail.com, Ph./Fax No. (O) - 07752-260070

क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./2019/ 1781 बिलासपुर/दिनांक 27/6/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
सेक्टर –19, नार्थ ब्लाक, अरण्य भवन
प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– भारत माला परियोजना अंतर्गत बिलासपुर से उरगा मार्ग निर्माण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पृ. क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध/2019 / 1653 अटल नगर, रायपुर दिनांक 02.03.2019 एवं पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–459/2019/3476 अटल नगर, रायपुर दिनांक 21.06.2019.

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायपुर द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर से उरगा सेक्शन मार्ग के प्रस्तावित निर्माण, संबंधित परियोजना के तारतम्य में परियोजना क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में संरक्षित क्षेत्र जैसे टाईगर रिजर्व, अभ्यारण्य, बायोस्फियर रिजर्व, हॉथी कॉरीडोर, टाईगर कॉरीडोर तथा एतिहासिक एवं धार्मिक स्थल स्थित नहीं होने के संबंध में अभिमत चाहा गया है। उक्त संबंध में वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर, जांजगीर–चाम्पा एवं कोरबा, वनमण्डल द्वारा उक्त परियोजना क्षेत्र से 10 कि.मी. के परिधि में किसी भी प्रकार के संरक्षित क्षेत्र नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न)

अतः वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर, कोरबा एवं जांजगीर–चांपा के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त परियोजना क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार के संरक्षित क्षेत्र नहीं होने के संबंध में सहमति सहित अभिमत आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व
बिलासपुर (छ0ग0)

पृ. क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./2019/ 1782 बिलासपुर/दिनांक 27/6/2019

प्रतिलिपि :–

वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर, कोरबा एवं जांजगीर–चांपा वनमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं क्षेत्र संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व
बिलासपुर (छ0ग0)

Scanned by CamScanner

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]
[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./ 99 बिलासपुर दिनांक 03/06/19

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छ0ग0 अटल नगर रायपुर

विषय :— भारत माला परियोजना अंर्तगत बिलासपुर से उरगा मार्ग निर्माण के संबंध जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :— आपका पत्र कमांक /व.प्रा./प्रबंध/2019 1652 दिनांक 02.03.2019

——00——

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रायपुर द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर से उरगा सेक्शन मार्ग का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु भारत सरकार जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बिलासपुर से उरगा मार्ग निर्माण हेतु 10 कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित/आरक्षित/वन्यप्राणी कारीड़ोर स्थित है अथवा नहीं ? कि जानकारी चाही गयी थी। उक्त क्षेत्र का स्थल सत्यापन परिक्षेत्र अधिकारी बिलासपुर द्वारा कराया गया। परिक्षेत्र अधिकारी बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित/आरक्षित/वन्यप्राणी कारीडोर स्थित नहीं होना पाया गया।

प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 100 दिनांक 03/06/2019,

प्रतिलिपि :— 01. मुख्यवनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

02. मुख्यवनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक अचानकमार आईगर रिजर्व बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (क्षेत्रीय) कार्यालय रायपुर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

D:/MS_Word/Office CCF-18

Scanned by CamScanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)
फोन नं. (07819) 245622, फैक्स – 245622 ई–मेल– dfo-jchampa.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2370 चांपा/दिनांक 26/03/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी)
अटल नगर, रायपुर

विषयः– भारत माला परियोजना अंतर्गत बिलासपुर से उरगा मार्ग निर्माण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् ।

संदर्भः– आपका प.क./1652 दिनांक 02.03.2019.

—''—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत माला परियोजना अंतर्गत बिलासपुर से उरगा मार्ग निर्माण के संबंध में जानकारी चाही गई है । इस संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी बलौदा से जांच कराया गया, उनके प्रतिवेदन एवं उप व.म.अ. चांपा की अनुशंसा के आधार पर उक्त परियोजना के 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी संरक्षित क्षेत्र/ वन्यप्राणी कॉरीडोर स्थित नहीं है । प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है ।

(रामाकृष्णा)
वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल

पृ.क्रमांक/तक.अधि./2371 चांपा/दिनांक 26/03/2019

प्रतिलिपि–

1. मु.व.सं., (वन्यप्राणी) बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है ।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (क्षेत्रीय) कार्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल

Scanned by CamScanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छत्तीसगढ़)

☎ का. : 07759–221273 , नि.: 07759– 222504, फैक्स 07759–223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ./ 400 कोरबा, दिनांक 20-3-2019

प्रति,

अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, अटल नगर रायपुर

विषय :– भारत माला परियोजना अंतर्गत बिलासपुर से उरगा मार्ग निर्माण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:– आपका पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध/2019/1652 दिनांक 02.03.2019

— 00 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित ज्ञापन के द्वारा चाही गई भारत माला परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर से उरगा सेक्शन मार्ग का निर्माण किया जाना है। इस वनमण्डल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में परियोजना के 10 कि.मी. की परिधि में संरक्षित क्षेत्र/वन्यप्राणी कॉरीडोर के लिए चिन्हित नहीं है और ना ही प्रस्तावित है।

अतः प्रतिवेदन आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल कोरबा

पृ.क्रमांक/तक.अ. / 401 कोरबा दिनांक 20-3-2019

प्रतिलिपि:– 01. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

02. मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

03. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (क्षेत्रीय) कार्यालय रायपुर, को सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल कोरबा